कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर

पत्रांक 81 /14-1 दिनॉक कानपुर जुलाई 6 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ

विषयः– कानपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा आई0आई0टी0 कानपुर से पालीटेक्निक कानपुर तक (एन0एच0–91) किमी0 414 से 419 तक एन0एच0डी0पी0–IV के अन्तर्गत फोर लेन चौडीकरण हेतु 4.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 246 वृक्षो के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः– पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय की पत्र संख्या 8वी/यूपी/06/17/2015/एफ0सी0/296 दि0 25.06.2015 एवं आपकी पत्र संख्या 2369/11सी दि0 01.07.2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा पायी गयी विषयक प्रस्ताव में त्रुटियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न करके प्रस्ताव की संसोधित तीन प्रतियां संलग्नकर प्रेषित की गयी है।

1. प्रस्ताव के भाग I के पृष्ठ 5 पर याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव संसोधित कर आवश्यक विवरण अंकित कर दिया गया है।
2. प्रस्ताव के भाग II के पृष्ठ 9 पर किये सुधार को प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 42 पर प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर लगा दी गयी है।
4. पातन होने वाले वृक्षो की सुची में सभी पृष्ठों प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये गये हैं।
5. यह बिन्दु आपसे सम्बन्धित है।
6. भू–सन्दर्भित डिजिटल डाटा मानचित्र में चाही गयी सूचनायें अकिंत कर प्रस्ताव में संलग्नकर दिया गया है।
7. भारत सरकार की पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0(पी0टी0) दि0 05.02.2013 द्वारा रोड कैनाल पाइप लाइन आदि के निर्माण के लिये ग्राम सभा से प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। तहसील स्तरीय समिति का प्रमाण पत्र संलग्न है।
8. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 37 में शीर्षक अंकित कर दिया गया है।
9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता स्थल प्रमाण पत्र पूर्ण कर दिया गया है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राम कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

Received 7/7/15

पत्रांक / समदिनांकित

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राम कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर